

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012के अंतर्गत श्री जितेन्द्र कुमार राणा पिता-
श्री प्रयाग मिस्त्री, ग्राम: सरादू, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957
आधिनियम के तहत थाना सं. 30, ग्राम: हेचाबलिया-खाता सं. 83 के अधीन प्लॉट सं. -365; खाता सं. 29
के अधीन प्लॉट सं. -247; खाता सं. 90 के अधीन प्लॉट सं. -329; खाता सं. 109 के अधीन प्लॉट सं. -41;
एवं खाता सं. 64, के अधीन प्लॉट सं. -40; थाना सं. 29 ग्राम: सरादू- खाता सं. 43 के अधीन प्लॉट सं. -
1433; खाता सं. 70, के अधीन प्लॉट सं. -1575; खाता सं. 74 के अधीन प्लॉट सं. -1280; खाता सं. के अधीन
प्लॉट सं. -1270; खाता सं. 6 के अधीन प्लॉट सं. -1274; खाता सं. 69 के अधीन प्लॉट सं. -1271 एवं 1273;
खाता सं. 40 के अधीन प्लॉट सं. -1269 एवं 1275; खाता सं. 142 के अधीन प्लॉट सं. -1284; खाता सं. 25
के अधीन प्लॉट सं. -1454 एवं खाता सं. 35 के अधीन प्लॉट सं. -1281; कुल रकमा: - 2.00 एकड़ (रैयती
भूमि) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव अग्रसीत किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/
वेबसाइट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_lnd.php
पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी
आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व),
सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

विनोद
21/08/2023

Yours
21/08/2023